



क्रमांक: एफ4 (84)आकाशि/नि.सं./2015/ 1816  
आदेश

दिनांक:- 24/5/2023

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2022-23 (एक सत्र) के लिए स्नातक स्तर पर एस.बी. सिविल रिट पिटीशन 18726/22 (श्री पी.डी. पोद्दार वेलफेयर एण्ड डवलपमेंट सोसायटी बनाम राज्य व अन्य) के साथ सम्मिलित करते हुए एस.बी. सिविल रिट पिटीशन 1594/2022 (एकलव्य कॉलेज करौली बनाम राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 27.04.2023 के अनुसार संस्था को Undertaking के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन निम्नलिखित संकाय व विषय में अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	संकाय व विषय
हेमेन्द्र शर्मा मैमोरियल एज्युकेशन सोसायटी उपाध्याय फार्म हाउस, रिको औद्योगिक क्षेत्र, करौली।	एकलव्य कॉलेज, उपाध्याय फार्म हाउस, नियर रिको औद्योगिक क्षेत्र, करौली।	कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर- कला संकाय- हिन्दी साहित्य, संस्कृत साहित्य, भूगोल, राजनीति विज्ञान, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र। विज्ञान संकाय- प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित।

1. संस्था अस्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रत्येक सत्र हेतु नियमानुसार मय निरीक्षण शुल्क आवेदन करेगी।
2. संस्था सत्र 2023-24 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
3. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
5. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
6. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
7. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार की महाविद्यालय प्रवेश नीति 2022-23 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
10. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
11. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल [www.aishe.nic.in](http://www.aishe.nic.in) पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोडेड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा।
12. एस.बी. सिविल रिट पिटीशन 18726/22 (श्री पी.डी. पोद्दार वेलफेयर एण्ड डवलपमेंट सोसायटी बनाम राज्य व अन्य) के साथ सम्मिलित करते हुए एस.बी. सिविल रिट पिटीशन 1594/2022 (एकलव्य कॉलेज करौली बनाम राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 27.04.2023 के अनुसार संस्था को Undertaking के आधार पर जारी की गई अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि माननीय उच्च न्यायालय को निर्णयाधीन होगी। यदि माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय संस्था के विरुद्ध पारित होता है, तो संस्था को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण शास्ति राशि जमा करानी होगी।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, कोटा।
5. कुल सचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
6. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि.सं.)  
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर